उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,लखनऊ।

विज्ञापन संख्या॰ 16(4) / 2016

अनुदेशक (सामान्य चयन) भर्ती 2016

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि – 28.11.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि – 30.11.2016

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि –17.12.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि –19.12.2016

आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि -21.12.2016

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या-16(4)2016 के अंतर्गत निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशक, वेतन मान रु॰9300-34800/- ग्रेड पे- 4200/- के सामान्य चयन के कुल 293 (स्थायी) रिक्त पदों (अनारक्षित-148, अनुसूचित जाति- 61, अनुसूचित जनजाति- 05 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग- 79), जिनका श्रेणीवार व व्यवसायवार विवरण नीचे सारणी-1 में दिया गया है, पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन हेतु, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। **सारणी-1 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के व्यवसायों हेतु अभ्यर्थी को पद हेतु विहित आहर्ता (शैक्षिक योग्यता) के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय (ट्रेड) के लिए अलग –अलग आवेदन करना होगा किन्तु एक व्यवसाय के लिए केवल एक आवेदन ही सबमिट (Submit) करना है ।**

विशेष सूचना

परीक्षा शुल्क का भुगतान रजिस्ट्रेशन होने के अगले कार्य दिवस को या उसके बाद किया जा सकता है । बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने एवं आवेदन सबमिट करने की दशा में ही उसका आवेदन पूर्ण होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जाएगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन सबमिट (SUBMIT) करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। कृपया एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार से अधिक फीस का भुगतान न करें ।

2- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र / अंक तालिका आदि प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है ।

ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना –

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें ।

"ऑनलाइन आवेदन" करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली - भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें ।

आयोग की वैबसाइट http://upsssc.gov.in पर "ऑल नोटीफिकेशन / एडवरटिजमेंट डिटेल्स" (all notification /advertisement details) अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवरटिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं :-

1- यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)
2- व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement)
3- अप्लाई (apply)

<u>यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)</u>- में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा- निर्देश दिये गए हैं। इसके बाद अभ्यर्थी व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement) को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। आवेदन हेतु अप्लाई (apply) पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जाएगा :-

<u>प्रथम स्तर</u> – अप्लाई क्लिक करने पर परिशिष्ट -1 में परीक्षा के सापेक्ष कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन (candidate registration) क्लिक करने पर अभ्यर्थी का बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म (परिशिष्ट -2) प्रदर्शित होगा।

फॉर्म भरने के पश्चात सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करने से प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात (कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन एकनोलेजमेंट) (परिशिष्ट -3) प्रदर्शित होगा। जिसे प्रिंट पर क्लिक करके मुद्रित किया जा सकेगा।

<u>द्वितीय स्तर</u> – परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु वेबसाइट पर दिये गए लिंक को क्लिक करें, शर्तों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इसके बाद स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाकर ई-चालान या ऑनलाइन माध्यमों (इंटरनेट बैंकिंग / कार्ड्स) से परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। कैटेगरी का चयन करें, रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्मतिथि (dd/mm/yyyy के रूप में) भरें एवं सबमिट करें। स्क्रीन पर भरी हुई सभी प्रविष्टियाँ सत्यापित करें एवं सत्यापित प्रविष्टियाँ भरें एवं सबमिट करें। इन्हें पुनः सत्यापित कर कन्फ़र्म करें। अब पेमेंट ऑप्शन्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इनमें से भुगतान का माध्यम चयन करें। SBI इंटरनेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड /क्रेडिट कार्ड /अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग, अथवा SBI की किसी शाखा में नकद भुगतान के लिए ई-चालान के लिए SBI ब्रांच का चयन करें। ई-चालान भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर जमा किया जा सकता है। यदि ऑनलाइन भुगतान का चयन किया गया है तो स्क्रीन पर दिये गए निर्देशों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। ई-चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की, जिले की, किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि (ई-चालान में मुद्रित होगी) जमा करके भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात विभाग की वैबसाइट पर प्रिंट ई- रिसीप्ट के आप्शन का चयन करते हुए ई-रिसीप्ट का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। ई-चालान की एक प्रति बैंक से प्राप्त कर लें तथा इसे अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बैंक द्वारा अभ्यर्थी को वापस की गयी ई-चालान की प्रति में बैंक द्वारा ट्रांजेक्सन आई. डी / जरनल नंबर (डीयू.........) छपी हुई होगी जिसका उपयोग तृतीय स्तर पर आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी को करना होगा। ऑनलाइन जमा करते समय स्क्रीन पर (डीयू.........) ट्रांजेक्सन नंबर दिखाया जाएगा जिससे ई-रिसीप्ट का प्रिंट भी लिया जा सकता है।

<u>तृतीय स्तर</u>- बैंक में शुल्क जमा करने के दिनांक के बाद दो दिन छोड़कर अग्रेतर कार्य दिवस में (अपरान्ह 2 बजे के पश्चात) अभ्यर्थी को आयोग की वैबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लिकेशन फार्म बटन को क्लिक करने पर प्रदर्शित फ़ार्मेट में ऑनलाइन सूचनाएँ भरनी होगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका नमूना परिशिष्ठ -6 पर है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने हाल के नवीनतम, आवक्ष तक (इमेज जो तीन माह से ज्यादा पुराना न हो) के रंगीन फोटोग्राफ सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके प्रविष्ट

(upload) करेंगे। फोटोग्राफ,(*.jpe,*.jpeg,*.jpg) के प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता तो ऑनलाइन आवेदन, सिस्टम पर स्वीकार नहीं होगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया (परिशिष्ट-7) में दी गई है। अभ्यर्थी फोटो अपलोड करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड डालकर जब सबमिट करेगा तो आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "व्यू एप्लीकेशन फार्म" को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनाएँ सही-सही भरी गयी है और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "सबमिट" बटन को क्लिक करें,अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सही- सही निर्देशानुसार ऑनलाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट बटन को क्लिक करना आवश्यक है, **यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जाएगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा।** इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "सबमिट" बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिंटआउट परिशिष्ट-7ए लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें। चूंकि किसी विसंगति के लिए आयोग जिम्मेदार न होगा।

3. एक बार आवेदन "सबमिट" करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

4. <u>आवेदन शुल्क</u> – ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। स्टेट बैंक ई- कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	(आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क) योग
1-	अनारक्षित (सामान्य)	80.00	25.00	105.00
2-	अन्य पिछड़ा वर्ग	80.00	25.00	105.00
3-	अनुसूचित जाति	40.00	25.00	65.00
4-	अनुसूचित जनजाति	40.00	25.00	65.00
5-	विकलांगजन	--	25.00	25.00

<u>नोट</u>- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को - क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

5.अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के प्रश्नगत चयन तथा अन्य समस्त चयनों / परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (सेकंड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ, पुनः आवेदन शुल्क जमा करके, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। **अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन "सबमिट" करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, पूर्व के शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।**

7. उपर्युक्त प्रस्तर-1 मे उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर श्रेणीवार / व्यवसायवार विवरण निम्नवत है –

सारिणी-1

क्र० सं०	व्यवसाय / विषय का नाम	अनुदेशक के नव सृजित रिक्त पदों की सं०	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनु० जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग	
			एन०सी० वी०टी०/ एन०ए०सी० धारक	डिप्लोमा / डिग्री धारक	एन०सी० वी०टी०/ एन०ए०सी० धारक	डिप्लोमा / डिग्री धारक	एन०सी० वी०टी०/ एन०ए०सी० धारक	डिप्लोमा / डिग्री धारक	एन०सी० वी०टी० / एन०ए० सी० धारक	डिप्लोमा / डिग्री धारक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	फिटर	26	6	6	3	3	1	0	4	3
2	वेल्डर	19	4	5	2	2	1	0	3	2
3	टर्नर	9	2	3	1	1	0	0	1	1
4	मशीनिष्ट	7	2	2	1	0	0	0	1	1
5	प्लम्बर	3	1	0	1	0	0	0	1	0
6	ड्राफ्टमैन (मैकेनिकल)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	मैकेनिक मोटर) (व्हीकल	14	4	3	1	2	0	0	2	2
8	मैकेनिक डीजल इंजन	7	1	2	1	1	0	0	1	1
9	पेंटर (सामान्य)	6	1	2	1	0	0	0	1	1
10	सर्वेयर	2	1	1	0	0	0	0	0	0
11	ड्राफ्टमैन (सिविल)	12	3	3	2	1	0	0	1	2
12	मैकेनिक रेफ्रीजिरेशन) एण्ड एयर (कंडीशनर	22	5	6	2	2	1	0	3	3
13	इंजीनियरिंग ड्राईग	20	0	10	0	4	0	1	0	5
14	वर्कशाप एण्ड केलकुलेशन एण्ड साइन्स	20	0	11	0	4	0	0	0	5

15	इलेक्ट्रीशियन	24	6	6	3	2	1	0	3	3
16	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	13	3	3	1	2	0	0	2	2
17	इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी	4	1	1	1	0	0	0	1	0
18	स्टेनोग्राफी एण्ड सेक्रेट्रियल असिस्टेंट	1	1	0	0	0	0	0	0	0
19	बेसिक कास्मेटोलोजी	13	3	4	2	1	0	0	1	2
20	सिविंग टेक्नोलॉजी	3	1	0	1	0	0	0	1	0
21	ड्रेस मेकिंग	4	1	1	0	1	0	0	1	0
22	फ़ैशन टेक्नोलॉजी	13	3	3	1	2	0	0	2	2
23	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट (कोपा)	15	4	4	2	1	0	0	2	2
24	इम्प्लायबिलिटी स्किल	10	0	5	0	2	0	0	0	3
25	आई०टी० लैब	10	3	2	1	1	0	0	1	2
26	लेदर गुडस मेकर	1	0	1	0	0	0	0	0	0
27	मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रोनिक्स	2	1	0	0	0	0	0	0	1
28	आटो बाडी रिपेयर्स	2	1	0	0	0	0	0	0	1
29	टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम	4	1	1	0	1	0	0	0	1
30	आई सी टी एण्ड सिस्टम मेन्टीनेंस	6	1	2	0	1	0	0	1	1
	कुल योग-	293	61	87	27	34	4	1	33	46

क्षैतिज आरक्षण- उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित विभिन्न व्यवसायों में रिक्त पदों के सापेक्ष विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए अधियाचन के अनुसार क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नवत है :-

(1) शासनादेश दिनांक 20.09.1997 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु आरक्षित -कुल **05 पद** ।

(2) शासनादेश दिनांक 13.01.2011 में विहित प्राविधानुसार विकलांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या- कुल 08 पद (दृष्टिहीन या कम दृष्टि -4), ओ०एल०,ओ०ए०, पी०बी०, बी० -04 पद ।

(3) शासनादेश दिनांक 09.09.1999 के प्राविधानुसार भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या- 14 पद ।

(4) शासनादेश दिनांक 26.02.1999 के प्राविधानुसार महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या- **58 पद** ।

टिप्पणी

(1)- उपर्यक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो 01 जुलाई, 2016 को आगे प्रस्तर-11 में अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और सारणी-2 में पद के सम्मुख अंकित अनिवार्य अर्हता रखते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

(2)- उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित विभिन्न व्यवसाय के पदों में से प्रत्येक व्यवसाय के लिए अलग- अलग चयन किया जाना है । अतः प्रत्येक व्यवसाय के लिए अलग-अलग आवेदन करना है तथा प्रत्येक व्यवसाय के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क देय है । किन्तु एक व्यवसाय हेतु केवल एक ही आवेदन सबमिट करना है ।

(3)- साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या आयोग द्वारा संवीक्षा के उपरान्त नियमानुसार निर्धारित की जाएगी ।

(4)- महिलाओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा। उत्तर प्रदेश के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शासन द्वारा अधिसूचित (केवल चिन्हित पदों पर) पदों पर ही आरक्षण देय है ।

(5)- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों शासनादेश में निर्धारित अध्यादेशों और नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ।

(6)- उपर्युक्त सारणी-1 में श्रेणीवार पदों की संख्या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है । इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित किये गये पदों का श्रेणीवार विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना पर आधारित है ।

(7)- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है ।

8- अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक)/अधिमानी अर्हता-

उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित विभिन्न व्यवसाय, जिनका उल्लेख क्रमवार नीचे सारणी-2 में किया गया है, हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पद के सम्मुख उल्लिखित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता आवेदन की तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए-

<u>अनिवार्य अर्हता</u>-: अनुदेशक के पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएँ होनी आवश्यक है-

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो,

(2) उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक) सेवानियमावली, 2014 के परिशिष्ठ के स्तम्भ-4 में यथाविहित विभिन्न व्यवसायों/विषयों के लिये प्राविधिक अर्हताएँ अवश्य रखता हो।

<u>अधिमानी अर्हता</u>-: सुसंगत व्यवसायों/विषयों में प्रशिक्षण/शिक्षण उपलब्ध कराने के लिये उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक) सेवावियमवाली 2014 परिशिष्ट के स्तम्भ-5 में विभिन्न व्यवसायों/विषयों के लिये यथाविहित अधिमानी अर्हता होनी चाहिए।

परन्तु यह कि जो अभ्यर्थी परिशिष्ठ के स्तम्भ-5 में भिन्न व्यवसायों/विषयों के लिये यथा विहित अधिमानी अर्हता नहीं रखते हों वे भी चयनार्थ लिये जायेंगे और यदि चयनित किये जाते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे नियम-17(3) के अनुसार विहित अवधि में उक्त अर्हता प्राप्त कर लें।

<u>अन्य अधिमानी अर्हता</u>-: उपर्युक्त पदों के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जिसने-

1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या,

2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

<u>सारणी-2</u>

<table>
<tr><th>क्रम सं०</th><th>व्यवसायों/ विषयों का नाम</th><th>अनिवार्य अर्हता/ अधिमानी अर्हता</th></tr>
<tr><td>1</td><td>फिटर</td><td rowspan="4">(1)- प्रत्येक व्यवसाय में पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे।
(2)- प्रत्येक व्यवसाय में पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि (स्नातक) धारक अभ्यर्थियों में से भरे जाएंगे।
<u>अधिमानी अर्हता-</u> संबन्धित व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना में एकवर्षीय प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>वेल्डर</td></tr>
<tr><td>3</td><td>टर्नर</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मशीनिष्ट</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्लम्बर</td><td>(1)- पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे।
(2)- पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सिविल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से सिविल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे।
<u>अधिमानी अर्हता-</u> शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन ट्रेनिंग माड्यूल मेथोडालोजी/ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग माड्यूल का प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।</td></tr>
</table>

6	ड्राफ्टमैन (मैकेनिकल)	(1)- पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। (2)- पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे । अधिमानी अर्हता- व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एकवर्षीय प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
7	मैकेनिक (मोटर व्हीकल)	(1)- प्रत्येक व्यवसाय में पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। (2)- प्रत्येक व्यवसाय में पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से मैकेनिकल/आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। अधिमानी अर्हता- सुसंगत व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एकवर्षीय प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
8	मैकेनिक (डीजल)	
9	पेंटर (सामान्य)	(1)- पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। (2)- पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे । अधिमानी अर्हता- शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन ट्रेनिंग मेथोडोलोजी/प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग माड्यूल का प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
10	सर्वेयर	(1)-पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जाएंगे । (2)-पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। अधिमानी अर्हता- शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन ट्रेनिंग मेथोडोलोजी/प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग माड्यूल का प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
11	ड्राफ्टमैन (सिविल)	(1)- पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। (2)- पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। अधिमानी अर्हता- सुसंगत व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एक वर्षीय प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।

12	मैकेनिक रेफ्रीजिरेशन) (एण्ड एयर कंडीशनर	(1)- पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। (2)- पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। **अधिमानी अर्हता-** संबन्धित व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एक वर्षीय प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
13	इंजीनियरिंग ड्राईग	(1)- प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। **अधिमानी अर्हता-** शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन ट्रेनिंग मेथोडोलोजी/प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग माड्यूल का प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
14	वर्कशाप केलकुलेशन एण्ड साइन्स	(1)- प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल/ मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे । **अधिमानी अर्हता-** सुसंगत व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन ट्रेनिंग मेथोडोलोजी / प्रिंसिपल्स आफ टीचिंग माड्यूल का प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
15	इलेक्ट्रिशियन	(1)- प्रत्येक व्यवसाय में पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। (2)- पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। **अधिमानी अर्हता-** सुसंगत व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एक वर्षीय प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
16	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	(1)- पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। (2)- पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। **अधिमानी अर्हता-** सुसंगत व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एक वर्षीय प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र ।

17	इन्फॉर्मेशन एवं इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स मेण्टीनेन्स	(1)- पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। (2)- पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग/इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग/इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। <u>अधिमानी अर्हता-</u> संबन्धित व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एक वर्षीय प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
18	स्टेनोग्राफी एण्ड सेक्रेट्रियल असिस्टेंट	(1)- पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। (2)- पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस/बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। <u>अधिमानी अर्हता-</u> सुसंगत व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एक वर्षीय प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
19	बेसिक कास्मेटोलोजी	(1)- पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। (2)- पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से ब्यूटी एण्ड हेल्थ केयर में डिप्लोमा या समकक्ष में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे । <u>अधिमानी अर्हता-</u> संबन्धित व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना में एक वर्षीय प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
20	सिविंग टेक्नोलॉजी	(1)- पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। (2)- प्रत्येक व्यवसाय में पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से ड्रेस मेकिंग/फ़ैशन डिजाइनिंग एण्ड गारमेंट टेक्नोलाजी/फ़ैशन टेक्नोलाजी में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से फ़ैशन टेक्नोलाजी में उपाधि धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। <u>अधिमानी अर्हता-</u> संबन्धित व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना में एक वर्षीय प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
21	ड्रेस मेकिंग	
22	फ़ैशन टेक्नोलॉजी	
23	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा)	(1)- पचास प्रतिशत पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। (2)-पचास प्रतिशत पद, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से कम्प्यूटर साइन्स/इंजीनियरिंग/टेक्नोलाजी में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से एम०सी०ए०/कम्प्यूटर साइन्स/इंजीनियरिंग/टेक्नोलाजी में उपाधि या मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्यूटर साइन्स/डोयक 'ए' लेवल धारक अभ्यर्थियों में से भरे जायेंगे। <u>अधिमानी अर्हता-</u> सुसंगत व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एक वर्षीय प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।

24	इम्प्लायबिलिटी स्किल	(1)- एम०बी०ए० अथवा दो वर्ष के अनुभव के साथ बी०बी०ए० अथवा दो वर्ष के अनुभव के साथ समाजशास्त्र /समाज कल्याण/अर्थशास्त्र में स्नातक अथवा दो वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक/डिप्लोमा और डीजीईटी संस्थान से इम्प्लायबिलिटी स्किल्स में प्रशिक्षित। (2)- बारहवीं/डिप्लोमा स्तर और उच्च स्तर पर अँग्रेजी/कम्यूनिकेशन स्किल्स तथा बेसिक कम्प्यूटर का अध्ययन किया हो। **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन ट्रेनिंग मेथोडोलोजी/प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग माड्यूल का प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
25	आई०टी० लैब अनुदेशक	कम्प्यूटर साइन्स/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी में स्नातक उपाधि कम से कम एक वर्ष अनुभव के साथ या कोपा व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र तीन वर्ष अनुभव के साथ। अनुभव प्रतिष्ठित औद्योगिक अधिष्ठान अथवा प्रशिक्षण संस्थान का होना चाहिए। **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन ट्रेनिंग मेथोडोलोजी/प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग माड्यूल का प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
26	लेदर गुडस मेकर	(1)- लेदर गुड्स मेकर ट्रेड में NTC/NAC के साथ तीन वर्ष का अनुभव । या (2)- लेदर गुड्स मेकर / लेदर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और दो वर्ष का अनुभव । या (3)- लेदर गुड्स मेकर / लेदर टेक्नोलॉजी में डिग्री और एक वर्ष का अनुभव । **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** लेदर गुड्स मेकर व्यवसाय में CITS से क्राफ़्ट इंस्ट्रक्टर प्रमाण-पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
27	मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स	(1)- संबन्धित व्यवसाय में एक वर्ष के अनुभव के साथ इलेक्ट्रानिक्स में बी०ई०/बी०टेक० और इलेक्ट्रानिक्स टेलीकम्यूनिकेशन में उपाधि । या (2)- संबन्धित व्यवसाय में दो वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से इलेक्ट्रानिक्स व टेलीकम्यूनिकेशन में डिप्लोमा । या (3)- संबन्धित व्यवसाय में पाँच वर्ष या चार वर्ष के अनुभव के साथ NTC/NAC का प्रमाण-पत्र । **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** क्राफ़्ट इंस्ट्रक्टर प्रमाण-पत्र ।
28	आटो बाडी रिपेयर्स	(1)- किसी मान्यता प्राप्त कालेज/विश्वविद्यालय से आटो मोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग (आटो मोबाइल में विशेषज्ञता के साथ) में उपाधि के साथ एक वर्ष का आटो मोबाइल बाडी/पेंटिंग उद्योग का अनुभव और LMV वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स रखता हो । या (2)- मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से आटो मोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में (आटो मोबाइल में विशेषज्ञता के साथ) उपाधि के साथ दो वर्ष का आटो मोबाइल बाडी/पेंटिंग उद्योग का अनुभव और LMV वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स रखता हो । या (3)- (i) हाईस्कूल (कक्षा 10 पास) उत्तीर्ण । (ii) मैकेनिक आटो बाडी रिपेयर व्यवसाय में NTC/NAC प्रमाण-पत्र के साथ संबन्धित व्यवसाय में पद का तीन वर्ष अनुभव और LMV वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स रखता हो ।

		अधिमानी अर्हता- क्राफ़्ट इंस्ट्रक्टर प्रमाण-पत्र (CIC)। एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
29	टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम	(1)-इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन/ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन में बी०ई०/बी०टेक०। या (2)-किसी मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से इलेक्ट्रानिक्स/ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन/ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन में डिप्लोमा। या (3)- NTC/NAC व्यवसाय में प्रमाण-पत्र। **अधिमानी अर्हता-** क्राफ़्ट इंस्ट्रक्टर प्रमाण-पत्र (CIC)। एन०आई०ई०एल०आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयक सोसाइटी ऑफ इंडिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण-पत्र।
30	आई. सी. टी. एण्ड सिस्टम मेन्टीनेंस	(1)-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइन्स/आई.टी./इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन में इंजीनियरिंग/टेक्नोलोजी की उपाधि। या (2)-कम्प्यूटर साइन्स/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/आई.टी./इलेक्ट्रानिक्स में स्नातकोत्तर की उपाधि। या (3)- कम्प्यूटर साइन्स/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/आई.टी./इलेक्ट्रानिक्स में उपाधि या NIELIT "A" लेवल। या (4)- मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से कम्प्यूटर साइन्स/आई.टी./ इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन में 03 वर्षीय डिप्लोमा। या (5)- इन्फारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी सिस्टेम मेंटेनेंस व्यवसाय में NAC या NTC प्रमाण पत्र और व्यवसाय में नेशनल क्राफ़्ट इन्स्ट्रेक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यदि हो- अनुभव- उपरोक्त शैक्षिक योग्यता के उपरान्त संबन्धित व्यवसाय में अनुभव- (1) व (2) के लिये एक वर्ष। (3) व (4) के लिये दो वर्ष। (5) तीन वर्ष NAC/NTC के बाद।

9- <u>चयन का आधार</u> -: उपर्युक्त पदों के लिए चयन का आधार साक्षात्कार है। उ०प्र० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक) सेवा नियमावली 2014 के भाग-5 के नियम-16(3) के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित रीति में तैयार किए जाने का प्रविधान है:-

नियम 16 (3) (क) - पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित रीति में अंक प्रदान किए जाएंगे:-

(एक) हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा।

(दो) राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का बीस प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा,

या

डिप्लोमा या उपाधि परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा।

(तीन) सी०आई०टी०एस०/पी०ओ०टी० परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 15 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा।

नियम 16 (3) (ख)(दो) – साक्षात्कार एक सौ अंक का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का 15 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

<u>नोट-</u> उपर्युक्त पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के लिए हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के प्राप्तांक प्रतिशत /अनिवार्य अर्हता व अधिमानी अर्हता/अनुभव के आधार पर निर्धारित श्रेष्ठताक्रम के अनुसार साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम कर सकता है।

10- अनुभव:- अनुदेशक के पद पर भर्ती के लिए, किसी अभ्यर्थी, जिसकी प्राविधिक अर्हता राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र है, के पास किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव अवश्य होना आवश्यक है। किसी उद्योग में काम करने या किसी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में अनुभव की न्यूनतम अवधि डिप्लोमा धारकों के लिए 02 वर्ष की होगी और डिग्री (उपाधि) धारकों के लिए एक वर्ष ही होगी।

11- <u>आयु सीमा</u> :- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2016 है अर्थात अभ्यर्थी ने 01 जुलाई 2016 (01-07-2016) को 21 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात उसका जन्म 02 जुलाई 1976 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1995 के बाद न हुआ हो।

(1)- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो तथा शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई 2016 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

(2)- समाज के विकलाँगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

12- आरक्षण- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र०के अन्य पिछड़े वर्गो को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा – उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/विकलांगजनों(कोटा बनने पर केवल चिन्हित पदों पर)/ भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

<u>**नोट-**</u> आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वैबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी

जाति प्रमाण पत्र/ आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

13- अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-

(1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/विकलांगजनों/भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हे आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

(5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो । ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा ।

(7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात (पुत्र कि पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।

(8) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे साक्षात्कार के समय अथवा मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।

(9) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या: 2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

(10) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

(11) अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(12) एक से अधिक क्षैतिज आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।

(13) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगजनों, महिला अभ्यर्थियों तथा विकलांगता से ग्रस्त भूतपूर्व सैनिकों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं हैं , ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे । महिला अभ्यर्थिनियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(14) आवेदन स्वीकार किए जाने की तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु -7 की सारणी-1 में उल्लिखित पद के सापेक्ष बिन्दु-8 की सारणी-2 में विहित अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक) व अनिवार्य अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए।

14- <u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश</u> –

1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।

2-ऑनलाइन आवेदन "सबमिट" हो जाने के पश्चात आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है । अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनायें सही-सही भरें । गलत जेंडर (लिंग) भरने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । अतः गलत जेंडर (लिंग) न भरें । ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनायें अंतिम हैं, इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी । जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

4- आयु एव शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

5- जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने या त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" किए जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन करने तथा आवदेन के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न होने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

7- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर साक्षात्कार हेतु पात्र पाये जाने पर औपबंधिक बुलावा पत्र भेजेगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था,उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

8- आयोग से सभी पत्राचार में आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी की जन्मतिथि,पिता/पति का नाम तथा (अनुक्रमांक यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

9- नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

10- ऐसे अभ्यर्थी जो पद हेतु विहित अनिवार्य(शैक्षिक) अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तथा आवेदन "सबमिट" करने की तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।

11- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हे विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।

12- किसी अनाचार / कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफ़ारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।

13- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा वैबसाइट पर कांटैक्ट-अस से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

14- ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 19.12.2016 तथा आवेदन स्वीकार "सबमिट" किए जाने की अंतिम तिथि 21.12.2016 है।

सचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

Detailed Applicaton Form:

At the top of the page there is a declaration for the Candidates are advised to go through the content of the declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the Candidate opts to disagree, the application will be dropped and procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-Line Application.

Notification Details:

This section shows information relevant to Notification.

Personal Details:

This section show information about Candidate Personal Details i.e. Registration Number, Candidate Name, Father/Husband Name, Gender, DOB, UP Domicile, Category, Marital Status, E-mail ID and Contact Number.

Other Details of candidate:

Other Details of Candidate shows the information about UP Freedom Fighter, Ex-Army service duration and physical deformity.

Education & Experience Details:

It shows Education and Experience details of the candidate.

Candidate Address, Photo & Signature Details.

It shows Communication Address and Photo with signature of the Candidate.

Declaration segment:

At the bottom of the page there is a **"Declaration"** for the Candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview Candidates detail before final submission of Application Form on clicking on **"Preview"** button.

Preview page will display all facts/Particulars that the Candidates have mentioned on entry time. If they are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using "Back" button the details can be modified.

(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE)

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of commission's website http://upsssc.gov.in CANDIDATE SEGMENT.

CANDIDATE SEGMENT
ALL Notification/Advertisements
Candidate Registration (First Stage)
Candidate E-Challan/I-Collect (Second Stage)
Submit Application Form (Third Stage)
View Application Status
List of Applications Having Photo related Objections
Download form for Eligibility Checking
Download Interview Letter
Duplicate Registration Slip & Application form
Download syllabus

I) **LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION:** On-line - Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट–8

उ0प्र0, की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित, जन जाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय) पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यता रहता है।

स्थान ....

दिनांक ....

मुहर ....

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद का नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ....

दिनांक ....

मुहर ....

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद का नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उ0प्र0 के विकलांगों के लिये प्रमाण–पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.....................................

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum. ....

Son/Wife/Daughter of Shri .... age ....

Sex .... identification mark (S) .... is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor of cerebral palsy:

(i) BL-Both legs affected but not arms.

(ii) BA-Both arms affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(iii) BLA-Both legs and both arms affected

(iv) OL-One leg affected (right or left)

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(v) OA-One arm affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)

(vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

(i) B-Blind

(ii) PB-Partialy Blind

C. Hearing Impairment:

(i) D-Deaf

(ii) PD-Partialy Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of .... year .... months.

3. Percentage of disability in his/her case is .... percent.

4. Sh./Smt./Kum. .... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

(i)	F-can perform work by manipulating with figers.	Yes/No
(ii)	PP-can perform work by pulling and pushing	Yes/No
(iii)	L-can perform work by lifting	Yes/No
(iv)	KC-can perform work by kneeling and couching.	Yes/No
(v)	B-can perform work by bending.	Yes/No
(vi)	S-can perform work by sitting.	Yes/No
(vii)	ST-can perform work by standing.	Yes/No
(viii)	W-can perform work by walking	Yes/No
(ix)	SE-can perform work by seeing.	Yes/No
(x)	H-can perform work by hearing/speaking.	Yes/No

(xi) RW-can perform work by reading and writing	Yes/No	
(Dr...............)	(Dr............)	(Dr.......)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
		Countersigned by the
		Medical Superintendent/
		CMO/HQ
		Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ...., पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री विवाहित/अविवाहित उपरोक्त अधिनियम 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित है।

हस्ताक्षर	पूरा नाम ....
स्थान	मुहर ....
दिनांक	जिलाधिकारी ....
	सील ....

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण--पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण--पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... निवासी ग्राम--.., तहसील--.., नगर--.. जिला--.. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित)...................... .... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).............. .... के आश्रित हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....

जिलाधिकारी
(सील)

प्रारूप–2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम .... आयोजित राष्ट्रीय .... में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र .... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

पता ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) .... विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक ....(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्टस् अथवा इंचार्ज खेल कूद .... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

पद ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ...., आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) ... . में .... स्कूल में कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

पता ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव